राज्य परियोजना कार्यालय
समग्र शिक्षा,छत्तीसगढ़

द्वितीय तल,एकीकृत शिक्षा भवन, पेंशनबाड़ा, रायपुर

Telephone :0771-2420156 Email-vocational121@gmail.com

पृ. क्र./423 /SS/SE/अनुदान/2020-21/F.No.- T-16 रायपुर, दिनांक 12/08/2020

प्रति,

1.समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़

2.समस्त जिला मिशन समन्वयक
राजीव गांधी शिक्षा शिक्षा मिशन
छत्तीसगढ़

3.समस्त प्राचार्य
डाईट, छत्तीसगढ़

विषयः— बच्चों के सीखने हेतु किए जा रहे विभिन्न नवाचारी प्रयासों हेतु व्यय का प्रावधान।

संदर्भः— कार्यालयीन आदेश क्र.1548/SS-EE/School Grant/एफ.टी.16/2019—20, रायपुर दिनांक 08.11.2019

——00——

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि राज्य में शालाओं के लॉकडाउन की स्थिति में शिक्षकों द्वारा स्व—पहल करते हुए बच्चों के सीखने के लिए वैकल्पिक नवाचारी प्रयास जैसे—पढ़ई तुंहर पारा, लाउडस्पीकर स्कूल, ऑनलाईन शिक्षा जैसे व्यवस्थाएं की जा रही है।

इन प्रयासों को सफल बनाने एवं बच्चों का सीखना सुनिश्चित किए जाने हेतु शिक्षकों को विभिन्न कार्यों के लिए बजट की आवश्यकता होगी। वर्तमान में शालाओं में शाला अनुदान, यूथ एवं ईको क्लब अनुदान, खेलगढ़िया अनुदान आदि दर्ज संख्या एवं शाला के स्तर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019—20 में राशि जारी की गई थी जिसमें से शेष राशि से दिए गए निर्देश के आधार पर व्यय करना सुनिश्चित करें।

शाला में उपरोक्त विभिन्न अनुदानों में गत वर्ष जारी अनुदानों में से बचत राशि से नियमानुसार निम्नलिखित कार्यों में बच्चों का सीखना सुनिश्चित करने के लिए व्यय किया जाना सुनिश्चित करते हुए समस्त व्यय के देयकों का संधारण शाला स्तर पर करेंगे और समय—समय पर होने वाले ऑडिट आदि के लिए अभिलेख उपलब्ध कराएंगे—

1. शाला अनुदान
   - बच्चों को अभ्यास के लिए कोरे कागज जिसे प्रत्येक बच्चे के नाम से पोर्ट फोलियो बनाकर संधारित रखा जाए ताकि वैकल्पिक केन्द्रों में बच्चों की नियमित पढ़ाई की स्थिति से अवगत हुआ जा सके।
   - बच्चों के लिए कार्य पत्रक/वर्कशीट्स/अभ्यास कार्य की प्रतियां निकाल कर साझा करना।
   - बच्चों से विभिन्न रचनात्मक कार्यों के लिए कलर पेंसिल, क्रेयान, ड्राइंगशीट, रबर, पेंसिल, स्लेट आदि।

Scanned with CamScanner

- सहायक सामग्री निर्माण हेतु सामग्री, चार्ट, पोस्टर एवं अन्य आवश्यक उपकरण।
- विभिन्न ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ सामग्री बच्चों को दिखाने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं।

2. **यूथ एवं ईको क्लब**

- बच्चों को घर पर पालकों के साथ/समुदाय के साथ मिलकर विभिन्न गतिविधियों के आयोजन एवं प्रोजेक्ट पूरा करने हेतु आवश्यक बजट।
- बच्चों की नियमित उपस्थित सुनिश्चित करने स्थानीय स्तर पर नवाचारी प्रयास।
- युवा क्लब द्वारा समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर बच्चों को उनकी सूची के अनुरूप विभिन्न कौशलों तथा बढ़ाई, लोहार, दर्जी, मिट्टी, धातु, लकड़ी से शिल्प का कार्य करने वाले विभिन्न कलाकारों, लोक कलाकारों, लोक नृत्य संबंधी विशेषज्ञों के साथ कम से कम दस दिनों तक संलग्नीकरण कर सीखने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं।
- बच्चों के केन्द्र की साफ–सफाई, स्वच्छता एवं सेनिटेशन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं। इस हेतु पंचायत में उपलब्ध बजट प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
- बच्चों को पढ़ने के लिए उनके स्तरानुसार पत्र पत्रिकाएं आदि उपलब्ध कराते हुए मुस्कान पुस्तकालयों की उपलब्ध पुस्तकों को भी बच्चों/पालकों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया जाए।
- आवश्यकतानुसार ऐसे बच्चों को जिनके पास मास्क/ गमछा नहीं है उनके लिए पंचायत एवं अन्य स्त्रोतों से बजट प्राप्त कर सभी बच्चों को नियमित रूप से मास्क पहनकर आना सुनिश्चित करना।
- सुरक्षा संबंधी निर्देशों, सावधानियों से अवगत कराने केन्द्रों में प्रचार–प्रसार संबंधी सामग्री।

3. **खेलगढ़िया के अंतर्गत प्राप्त अनुदान –**

- बच्चों को नियमित सीखने के केन्द्र में उपस्थिति हेतु प्रोत्साहित करने हेतु पूर्व के वर्षों में क्रय की गई सामग्री एवं बचत राशि से ऐसे स्थानी खेलों के लिए आवश्यक सामग्री के लिए खेलने में फिजिकल डिस्टेंस के नियमों का पालन किया जाए।
- समुदाय, शिक्षकों एवं यूथ क्लब के सचिवों से चर्चा कर ऐसे स्थानीय खेल सामग्री का क्रय करना, स्थानीय स्तर पर निर्माण करना जिसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन होता हो।
- समुदाय से बच्चों को विभिन्न खेलों में दक्ष करने हेतु यदि समुदाय से कुशल खिलाड़ी उपलब्ध हो जाएं तो उनके माध्यम से विभिन्न खेलो, विशेषकर 'खेलो इंडिया' में शामिल खेलों में बच्चों को नियमित रूप से दक्ष करने हेतु आवश्यक प्रावधान।
- जिन शालाओं में बालिकाओं की सुरक्षा हेतु Self Defence मद में बजट उपलब्ध हो तो उसके लिए कुशल विशेषज्ञों से सहयोग लिया जाए।

ध्यान रखें कि उपरोक्त व्यवस्थाएं कोविड एवं संक्रमण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष परिस्थितियों में जारी की जा रही है। ये केवल उन्हीं शालाओं के लिए स्वीकृत होगी जहां पर विभिन्न नवाचारी तरीकों का उपयोग कर सीखने के प्रयास किए जा रहे हैं। व्यय

Scanned with CamScanner

किए जा रहे बजट की जानकारी साप्ताहिक रूप से संकलित करने की व्यवस्था की जाएगी। अतः नियमानुसार सभी जानकारी एवं देयक संधारित रखेंगे। किसी भी स्थिति में केन्द्रीयकृत क्रय नहीं किया जाए। सामग्री क्रय करते समय भण्डार एवं क्रय नियमों का पालन करना सुनिश्चित करें।

प्रबंध संचालक
समग्र शिक्षा
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ. क्र./424/SS/SE/अनुदान/2020-21/F.No.- T-16 रायपुर, दिनांक 12/08/2020

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, को सूचनार्थ।
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर को सूचनार्थ।
4. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।

प्रबंध संचालक
समग्र शिक्षा
छत्तीसगढ़, रायपुर

Scanned with CamScanner